

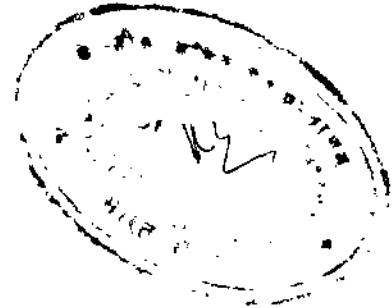


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 559]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर, 7 1994/कार्तिक 16, 1916

No. 559]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 1994/KARTIKA 16, 1916

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण)
विनियम, 1994

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1994

का. प्रा. 800(ई).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के पूर्वनिर्माण से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) ये विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1994 कहें जायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) "अर्जनकर्ता" से कोई व्यक्ति, जो या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर एक कंपनी के शेयर अर्जित करता या अर्जित करने पर सहमत होता है, अभिप्रेत होगा;

(ग) "अन्वेषक अधिकारी" से बोर्ड का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रतिभूति बाजार से सम्बन्धित समस्याओं से निपटाने का अनुभव रखता है, अभिप्रेत है और ऐसा व्यक्ति बोर्ड द्वारा इन विनियमों के अध्याय V के अन्तर्गत प्राधिकृत है;

(घ) "सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्ति" में वे व्यक्ति समाविष्ट हैं जो एक सहमति या तय बात के अनुसार एक कंपनी के शेयरों एक सामान्य उद्देश्य या शेयरों के पर्याप्त अर्जन के प्रयोजन से अर्जित करते हैं या अर्जित करने को सहमत होते हैं, और इनमें सम्मिलित हैं;

(i) एक कंपनी, इसकी नियंत्रित कंपनी या ऐसी कंपनियों की समनुषंगी या एक ही प्रबन्धन के अधीन कंपनियों या तो वैयक्तिक रूप से या सब एक दूसरे के साथ;

(ii) इसके किसी निदेशकों सहित एक कंपनी या कंपनी की निधियों के प्रबन्ध से व्युत्पन्न कोई व्यक्ति;

(iii) खंड (i) में निविष्ट कंपनियों के निदेशक और उनके सहयुक्त; और

- (iv) पारस्परिक निधियां, वित्तीय संस्था, मर्जेंट बैंकर, संबंधित प्रबंधक और कोई निवेश कम्पनी जिसमें कोई व्यक्ति निवेशक, निधि प्रबंधक, ग्यासी के रूप में हित रखता है या शेयरधारक के रूप में उस कम्पनी की समावृत्त पूंजी में वो प्रतिशत से ग्रन्थून रखता हो;

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सहयुक्त" से अभिप्रेत है :—

- (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 6 के अर्थ के अन्तर्गत उस व्यक्ति का कोई सम्बन्धी।
- (ख) ऐसी कम्पनी की समावृत्त इक्विटी पूंजी का व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर दो प्रतिशत धारण करने वाला निदेशक या उसका सम्बन्धी।
- (ङ) "लोक वित्तीय संस्था" से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए में यथा परिभाषित लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।
- (च) "एक औद्योगिक कम्पनी" का वही अर्थ होगा जो इसे दण्ड औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (o) में दिया गया है।
- (छ) "राज स्तरीय वित्तीय संस्था" का अर्थ है राज्य वित्तीय संस्था अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित राज्य वित्त निगम, और राज्य में उद्योगों या कृषि के विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक कम्पनी के रूप में स्थापित औद्योगिक विकास निगम भी समाविष्ट है।
- (ज) "स्टाक एक्सचेंज" से वह स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के खंड 4 के अंतर्गत मान्यता दी गई है।
- (झ) "शेयर्स" से एक कम्पनी की अंशपुंजी में मताधिकार युक्त शेयर अभिप्रेत हैं और कोई प्रतिभूति समाविष्ट है जो धारक को मताधिकार युक्त शेयर प्राप्त करने का हकदार कर सकेगी।
- (2) अन्य सभी पदों के, जब तक इसमें परिभाषित न हों, वही अर्थ होंगे, जो यथास्थिति उनके अधिनियम या कम्पनी अधिनियम, 1956, या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हों।

3. विनियमों की प्रयोज्यता :—इन विनियमों के अध्याय III में अंतर्लिखित कुछ भी शेयरों के अर्जन पर लागू नहीं होगा :—

- (क) एक सार्वजनिक निर्गम के अधीन आवेदन करने के अनुसरण में प्राबंटन द्वारा;
- (ख) किसी हाबीवारी व्यवस्था के अनुसरण में,
- (ग) कारबार के साधारण अनुक्रम में, प्राबंटनों की ओर से, स्टॉक एक्सचेंज के एक रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल द्वारा;
- (घ) उन कम्पनियों में जिनके शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं;
- (ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 और 394 के अधीन एक प्रबन्ध योजना या समामेलन के अनुसरण में;
- (च) दण्ड औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अधीन विरचित योजना के अनुसरण में।

4. छूट प्रदान करने की बोर्ड की शक्ति :—बोर्ड सभी सुसंगत कारकों, जैसे कि प्रवर्तकों के बीच पारिवारिक व्यवस्था या कंपनी के पुनर्गठन, जहाँ शेयर्स के वस प्रतिशत से अधिक के शेयरों के मताधिकार उस कंपनी या

उसकी किसी नियंत्री कंपनी या उसी प्रबन्धन के अन्तर्गत एक कम्पनी के विद्यमान शेयरधारकों द्वारा अर्जित किये जाते हैं, इत्यादि पर विचार करने के उपरान्त ऐसी छूट प्रदान करने के कारणों को लिखित रूप में अधिलिखित करने के बाद अध्याय III के प्रावधानों से छूट का एक आदेश शरित कर सकता है।

अध्याय II

शेयरधारिता का प्रकटीकरण

5. संक्रमणकालीन उपबंध :—(1) कोई व्यक्ति जो किसी कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करता है, इन विनियमों के अधिसूचित होने के दो माह के भीतर उस कंपनी में अपनी कुल शेयरधारिता का प्रकटीकरण करेगा।

(क) उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को जहाँ उस कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, और

(ख) उपरोक्त कंपनी को।

(2) प्रत्येक कंपनी, जिसके शेयर उप-विनियम (1) में निविष्ट व्यक्तियों द्वारा धारित हैं, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से दो माह के भीतर ऊपर निविष्ट प्रत्येक अर्जनकर्ता की शेयरधारिता की कुल संख्या का प्रकटीकरण, स्टॉक एक्सचेंज को करेगी।

6. एक कंपनी के 5 प्रतिशत या अधिक शेयरों का अर्जन :—(1) कोई अर्जनकर्ता, जो किसी कंपनी में 5 प्रतिशत या 5 प्रतिशत से कम शेयर धारण करता है; और

(क) एक सार्वजनिक निर्गम के अनुसरण में, या

(ख) एक या अधिक लेन-देन द्वारा, या

(ग) ऊपर (क) या (ख) में शामिल न किये गये किसी अन्य तरीके द्वारा,

पांच प्रतिशत से अधिक शेयर्स का अर्जन करता, उस कंपनी में उस कम्पनी की अपनी कुल शेयरधारिता का तथा उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करेगा जहाँ शेयर्स सूचीबद्ध हैं।

(2) उप-विनियम (1) में वर्णित प्रकटीकरण,

(क) उप-विनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अर्जित शेयर्स के लिए शेयर्स के प्राबंटन की सूचना की प्राप्ति से; या

(ख) शेयर्स के अर्जन से, यथास्थिति;

बार कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।

(3) प्रत्येक कंपनी जिसके शेयर्स उप-विनियम (1) में निविष्ट किए अनुसार अर्जित किये गये हैं, उप-विनियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर ऐसे सभी व्यक्तियों की उस कंपनी में कुल शेयरधारिताओं का उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करेगी जहाँ वे शेयर सूचीबद्ध हैं।

7. बोर्ड को प्रकटीकरण :—स्टॉक एक्सचेंज, विनियम 5 और 6 के अधीन किये गये प्रकटीकरणों की रिपोर्ट, जब भी बोर्ड द्वारा अपेक्षित होगा, बोर्ड को देंगे।

8. निरन्तर प्रकटीकरण :—(1) प्रत्येक अर्जनकर्ता, विनियम 5 के अधीन सम्मिलित व्यक्ति सहित जो किसी कंपनी में दस प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करता है, उन स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ इसकी धारिता वाले शेयर्स सूचीबद्ध हैं, को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च और 30 सितम्बर को उसकी धारिताओं की वास्तव अर्ध-वार्षिक प्रकटीकरण करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रकटीकरण करने की बाध्यता उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि कंपनी में शेयरधारिताएं या तो, कंपनी के मताधिकार के, दस प्रतिशत से कम नहीं हो जाती या उसके पञ्चहत्तर प्रतिशत तक बढ़ नहीं जाती।

अध्याय III

अधिग्रहण

9. बातचीत से किसी कंपनी के 10 प्रतिशत या अधिक शेयरों का अर्जन :—(1) कोई अर्जनकर्ता जो किसी कंपनी की पूंजी में दस प्रतिशत या उससे कम मताधिकार युक्त शेयर धारण करता है, बातचीत द्वारा किन्हीं प्रतिरिक्त शेयरों का तब तक अर्जन नहीं करेगा, जो कि उसकी विद्यमान शेयरधारिता के साथ मिलकर दस प्रतिशत के आधिक्य में मताधिकार रखेंगे, जब तक कि अर्जनकर्ता इन विनियमों के अनुसरण में कंपनी के अन्य शेयरधारकों से न्यूनतम प्रस्ताव मूल्य पर शेयरों का अर्जन करने की सार्वजनिक घोषणा नहीं करता अथवा

(2) कोई अर्जनकर्ता, जो इन विनियमों के प्रारम्भ की तिथि को, एक कंपनी की पूंजी में दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार रखने वाले शेयर धारण करता है, परन्तुप्राप्त द्वारा अपने प्रतिरिक्त शेयरों का अर्जन नहीं करेगा जब तक कि अर्जनकर्ता इन विनियमों के अनुसरण में कंपनी के अन्य शेयरधारकों से न्यूनतम प्रस्ताव मूल्य पर शेयरों का अर्जन करने की सार्वजनिक घोषणा नहीं करता।

(3) जहाँ कोई अर्जनकर्ता उन प्रतिभूतियों का अर्जन करता है जो उसे, उसके पहले ही धारित शेयरों पर मताधिकार से मिलकर दस प्रतिशत से अधिक के मताधिकार का हकदार बना देंगी, तब, ऐसे व्यक्ति को ऐसी प्रतिभूतियों का मताधिकार अभिप्राय करने के समय से तुरन्त पहले उप-विनियम (I) में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए।

(4) उप-विनियम (2) में ममाविष्ट कुछ भी किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि को एक कंपनी की पूंजी में दस प्रतिशत से अधिक के मताधिकार युक्त शेयर धारण करता है यदि उसने पहले ही किसी स्टॉक एक्सचेंज के सूचीबद्ध करार के खंड 40क और 40ख के उपबंधों का अनुपालन कर लिया है।

10. खुले बाजार की खरीदों से किसी कंपनी के 10 प्रतिशत या अधिक शेयरों का अर्जन :—(1) एक अर्जनकर्ता जो एक कंपनी की पूंजी में दस प्रतिशत या उससे कम मताधिकार युक्त शेयर धारण करता है, खुले बाजार से किन्हीं अन्य शेयरों का तब तक अर्जन नहीं करेगा, जो कि उसकी विद्यमान शेयरधारिता के साथ मिलकर दस प्रतिशत के आधिक्य में मताधिकार रखेंगे जब तक कि ऐसा अर्जनकर्ता इन विनियमों के अनुसरण में खुले बाजार से शेयरों का अर्जन करने के आशय की सार्वजनिक घोषणा नहीं करता है।

(2) एक अर्जनकर्ता जो इन विनियमों के प्रारम्भ की तिथि को, कंपनी की पूंजी में दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार रखने वाले शेयर धारण करता है, खुले बाजार से कंपनी में कोई प्रतिरिक्त शेयरों का अर्जन नहीं करेगा जब तक कि वह अर्जनकर्ता इन विनियमों के अनुसरण में खुले बाजार में शेयर अर्जन करने के आशय की सार्वजनिक घोषणा नहीं करता।

11. प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा कैसे करनी चाहिए :—(1) विनियम 9 या विनियम 10 में निर्दिष्ट प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा करने से पूर्व अर्जनकर्ता, बोर्ड द्वारा प्रवृत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक मर्चेंट बैंककार की नियुक्ति करेगा।

12. प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा :—विनियम 9 या 10 के अधीन की जाने वाली सार्वजनिक घोषणा कम से कम एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक और उस स्थान के स्थानीय भाषा के एक समाचार पत्र में की जायेगी जहाँ उस कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और अधिकांशतः व्यापारित होते हैं।

13. विनियम 9 के अधीन प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा का समय :—विनियम 9 में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा या तो परकाजण की अंतिम रूप देने या शेयर अर्जन हेतु करार या समझौता ज्ञापन में शामिल होने, जो पहले हो, के चार दिन के अन्तराल की जायेगी।

14. विनियम 10 के अधीन आशय की सार्वजनिक घोषणा का समय :—विनियम 10 में निर्दिष्ट शेयर अर्जन करने के आशय की सार्वजनिक घोषणा या तो किन्हीं शेयरों के अर्जन के तुरन्त पहले, जो घोषणा करने वाले व्यक्ति की विद्यमान शेयरधारिता को दस प्रतिशत के ऊपर बढ़ा देगा या यदि उसकी विद्यमान शेयरधारिता पहले से ही दस प्रतिशत से अधिक है, तो व्यक्ति द्वारा उसकी विद्यमान शेयरधारिता को बढ़ाने के लिए शेयरों के अर्जन करने के पूर्व किसी समय, की जायेगी।

15. प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा की अन्तर्वस्तु :—विनियम 9 या 10 में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा में निम्नलिखित विषयवस्तु होंगी, अर्थात् :—

- (i) मूल्य जिस पर शेयरों का अर्जन इच्छित है, सहित प्रस्ताव के उद्देश्य और शर्तें;
- (ii) शेयरों का अर्जन करने वाले अंतिम व्यक्ति की पहचान;
- (iii) उसके सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों की शेयरधारिताओं के साथ-साथ शेयर अर्जन करने वाले व्यक्ति की विद्यमान धारिताओं के ब्यौरे;
- (iv) शेयरधारिताओं के ब्यौरे जिसकी बायत शेयर अर्जन करने वाले व्यक्ति ने शेयर अर्जन के लिए एक करार या समझौता ज्ञापन तय किया है;
- (v) शेयर अर्जन का आशय;
- (vi) अभिलेखन तिथि तथा वह तिथि जिस तक शेयरधारकों को व्यक्तिगत प्रस्ताव-पत्र भेज दिये जायेंगे और वह रीति तथा तिथि जिस तक प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा संमूचित कर दी जानी चाहिए;
- (vii) शेयरों के अर्जन हेतु प्रतिकूल के भुगतान का समय और रीति;
- (viii) निम्नलिखित बातों सहित सभी शर्तें जिनके अधीन प्रस्ताव किया गया है अर्थात् :—

- (क) जनता से अर्जित किये जाने वाले शेयरों की कुल संख्या, विनियम 21 में निर्दिष्ट न्यूनतम के अध्याधीन;
- (ख) शेयर अर्जन के प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) और विदेशी मुद्रा विनियमक अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अधीन अपेक्षित सांविधिक अनुमोदन और
- (ग) उस कंपनी के शेयरधारकों से लिये जाने वाले अनुमोदन जिसके शेयरों का अर्जन किया जा रहा है;

(ix) विनिधानकर्ताओं के हित में ऐसी अन्य सूचना जो शेयरों के पर्याप्त अर्जन पर प्रभाव डालने वाली हो।

16. विवरणिकाएं विज्ञापन सामग्री इत्यादि :—(1) प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा या शेयर अर्जन के सम्बन्ध में जारी कोई अन्य विज्ञापन, परिपत्र, विवरणिका या प्रचार सामग्री शेयरधारक द्वारा अर्जनकर्ता द्वारा किये गये प्रस्ताव पर एक जानकारी युक्त विनिश्चय करने के लिए आवश्यक जानकारी से अंतर्विष्ट होगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन जनता को जारी किसी विज्ञापन, विवरणिका या दस्तावेज की प्रतियां इसके जारी किये जाने से कम से कम 24 घंटे पहले बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

17. प्रस्ताव-पत्र.—(1) विनियम 9 या 10 के अधीन प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा के चौदह दिन के भीतर अर्जनकर्ता एक मर्चेन्ट बैंककार के माध्यम से प्रस्ताव पत्र का प्रारूप बोर्ड को उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव पत्र के साथ, अर्जनकर्ता रु. 25,000 की धनराशि का भुगतान बोर्ड को करेगा जो दिसम्बर में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पक्ष में या तो चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदाय होगी।

(3) मर्चेन्ट बैंककार यह कथन करते हुए कि जनता को जारी किसी प्रलेख, विज्ञापन या विवरणिका में किये गये कथन में वे कथन अंतर्विष्ट हैं जो उसके या अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं, बोर्ड को एक सम्यक तत्परता प्रमाणपत्र जमा करेगा।

18. अभिलेखन तिथि.—(1) प्रस्ताव-पत्र कम्पनी के सभी शेयरधारकों को भेजा जायेगा जिनके शेयर अर्जित किया जाना इच्छित है और जिनके नाम अभिलेखन तिथि को कम्पनी की बही में दर्जित हैं।

(2) अभिलेखन तिथि, प्रथम सार्वजनिक घोषणा की तिथि से साठवें दिन के अन्तरात् होगी।

19. न्यूनतम प्रस्ताव मूल्य.—(1) विनियम 9 या विनियम 10 के अधीन शेयर अर्जन हेतु एक प्रस्ताव न्यूनतम प्रस्ताव मूल्य पर किया जाएगा जो—

(क) नकदी में संश्लेष होगा; या,

(ख) शेयरों के विनियम द्वारा संदेय होगा यदि अर्जन करने का इच्छुक व्यक्ति एक निर्धारित निकाय हो; या

(ग) क और ख का संयोजन होगा।

परन्तु यह कि जहां करार या बात तय करने का आपन शेयरधारकों, जिनके शेयर अर्जित किये जा रहे हैं, की किसी श्रेणी को नकद भुगतान अनुबद्ध करता है, वे शेयरधारकों को भी उनके द्वारा शेयरों की बिक्री के लिए प्रस्तावित शेयरों के लिए नकद भुगतान किया जायेगा।

(2) उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम प्रस्ताव मूल्य होगा:—

(क) विनियम 9 के अधीन शेयरों के अर्जन के मामले में, परकायित मूल्य या घोषणा की तिथि से पूर्ववर्ती के अन्तिम छह महीने के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उल्लिखित शेयरों के साप्ताहिक उच्च और निम्न अन्तिम मूल्यों का औसत, जो अधिक हो, परन्तु यह कि उस अवधि में उस स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे शेयरों के लिए बाजार रहा हो;

(ख) विनियम (10) के अधीन शेयरों के अर्जन के मामले में, खुले बाजार में अर्जनकर्ता द्वारा संवत् उच्चतम मूल्य या घोषणा की तिथि के पूर्ववर्ती अन्तिम छह माह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उल्लिखित शेयरों के साप्ताहिक उच्च और निम्न अन्तिम मूल्यों का औसत जो भी अधिक हो, परन्तु यह कि उस अवधि में उस स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे शेयरों के लिए बाजार रहा हो;

(ग) जहाँ अर्जित किये जाने वाले शेयर के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सतत विपणन नहीं रहा हो ऐसा औसत कम से कम एक अन्य स्टॉक एक्सचेंज में उल्लिखित भारत औसत मूल्य के आधार पर संगणित किया जायगा जो उस एक्सचेंज में ऐसे शेयरों की दैनिक व्यापार मात्रा के आधार पर या बोर्ड के पूर्वानुमोदन से किसी अन्य युक्तियुक्त प्रकार से निर्धारित किया जायेगा।

(घ) जहाँ कम्पनी के शेयर नकद भुगतान के बबले में प्रस्तावित किये जा रहे हैं, ऐसे शेयरों का मूल्य यथास्थिति उसी प्रकार निर्धारित किया जायगा जैसा कि खंड (क) और (ख) में वर्णित है।

20. सामान्य बाध्यताएं (1) शेयरों के अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रस्ताव की घोषणा केवल तभी की जायगी जब अर्जनकर्ता के पास यह विश्वास करने का हर कारण हो कि वह प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में समर्थ होगा।

(2) प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा के चौदह दिन के भीतर अर्जनकर्ता को एक प्रस्ताव-पत्र उस कम्पनी के निवेशक मंडल की भी जमा करना होगा जिसके शेयर अर्जित किये जा रहे हैं।

(3) अर्जनकर्ता उस अवधि का कथन करेगा जिसके लिए अन्य शेयरधारकों से शेयर अर्जित करने का प्रस्ताव खुला रहेगा।

बशर्ते कि ऐसा प्रत्येक प्रस्ताव, प्रस्ताव की तिथि से कम से कम चार सप्ताह की अवधि तक खुला रखा जायेगा।

(4) सभी शेयरधारकों को प्रस्ताव पत्र इस प्रकार भेजा जाएगा ताकि यह उनके पास अभिलेखन तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाए।

(5) कोई अर्जनकर्ता जिसने परकायण द्वारा यह खुले बाजार से कय करके शेयरों का कोई अर्जन किया है, उत्तरवर्ती छह महीनों में शेयरों के अर्जन के लिए कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा।

21. अर्जित किये जाने वाले शेयरों की न्यूनतम संख्या.—

(1) उपविनियम (2) के अध्याधीन शेयरों की ऐसी संख्या, जो उस स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, जहां वे शेयर सूचीबद्ध हैं, जो निर्धारित न्यूनतम विपणनीय लाट से कम नहीं होगी, या यदि यह विपणनीय लाट से कम है तो संपूर्ण धारिता के अर्जन करने का प्रस्ताव प्रत्येक शेयरधारक से किया जाएगा।

(2) कंपनी के शेष शेयरधारकों से उस कंपनी के कुल शेयरों के कुल न्यूनतम 20 प्रतिशत अर्जित करने के लिए एक सार्वजनिक प्रस्ताव किया जाएगा।

(3) जहाँ कोई अर्जनकर्ता, इन विनियमों के प्रारम्भ होने के समय पर दस प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करता है और सूचीकरण करार के खण्ड 40क और 40ख के उपबन्धों का अनुपालन करना अपेक्षित नहीं था, वहाँ उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सार्वजनिक प्रस्ताव ऐसा न्यूनतम प्रतिशत अर्जित करने के लिए होगा, जो उसकी शेयरधारिता को उस कंपनी के कुल शेयरों की कम से कम तीस प्रतिशत तक बढ़ावे।

(4) उस कंपनी के निदेशक, जिसके शेयर अर्जित किए जा रहे हैं, वेशका की स्वीकृति के खुले होने की अवधि में, शेयर धारकों के सामान्य निकाय का अनुमोदन प्राप्त किये बिना, कंपनी या इसकी अनु-बंधियों की आस्तियों का विक्रय या विक्रय हेतु कोई करार जो कि कारबार के साधारण अनुक्रम में बिक्री या आस्तियों का व्यवसाय हो, या इस अवधि में सहाधिकार युक्त किसी प्राधिकृत लेकिन अनिर्धारित प्रतिभूति का निर्गम नहीं करेंगे।

(5) शेयरधारकों को जारी प्रत्येक प्रलेख या प्रस्ताव के संबंध में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में यह कथन होना चाहिए कि यदि अर्जनकर्ता कोई कंपनी है तो निदेशक, प्रलेख या विज्ञापन में अन्तर्विष्ट सूचना का उत्तर वास्तव स्वीकार करते हैं।

यह भी कि यदि कोई निदेशक स्वयं को यथास्थिति ऐसे किसी प्रलेख या विज्ञापन में सूचना के दायित्व से मुक्त रखने का इच्छुक हो तो प्रलेख या विज्ञापन में, यथास्थिति ऐसा प्रभावी कथन उसके कारण सहित अन्तर्विष्ट होगा।

(6) कंपनी जिसके शेयर अर्जित किये जा रहे हैं, अर्जनकर्ता के अनुमोदन के सात दिन के भीतर अर्जनकर्ता को शेयरधारकों और ऐसे व्यक्तियों के नामों की सूची देगी जिनके रजिस्ट्रिकरण अंतरण के भावेदम विधिमार्ग्य समझे गए हैं और कंपनी द्वारा स्वीकार किये गये हैं।

(7) कंपनी, जिसके शेयर अर्जित किये जा रहे हैं, उन व्यक्तियों को भी साठ दिव के भीतर सूचित करेगी जिनके आवेदन वैध अंतरण हेतु समझे गए हैं। और ऐसे अंतरणों के बारे में अंतरक और अंतरितों को भी सूचित करेगी ताकि उनको प्रस्ताव स्वीकार करने का अवसर हो।

(4) ऊपर निर्दिष्ट प्रस्ताव, कंपनी की मत पूंजी से, सार्वजनिक शेयरधारकों के 20 प्रतिशत से कम तक घट जाने में, परिणामित नहीं होगा।

(5) जहाँ कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों को धारण करने के कारण शेयरों का अर्जन करना चाहता है, जो बाद में किसी समय मताधिकार को बहन करे, उप विनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट प्रतिशत भी गणना उन प्रतिभूतियों सहित जो मताधिकार बहन करेगी कंपनी की मत पूंजी के सन्दर्भ में की जावेगी।

(6) जहाँ शेयरधारकों द्वारा विकल्प के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति द्वारा अर्जित किये जाने वाले शेयरों की करार पाई संख्या से अधिक है, ऐसा व्यक्ति, उप विनियम (1) के अधीन शेयरधारकों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुपातिक आधार पर प्रति गृहीत करेगा।

22. प्रस्ताव का समापन :—अर्जनकर्ता, प्रस्ताव बंद होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उन शेयरधारकों को प्रतिकूल के भुगतान जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, सहित प्रस्ताव से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी करेगा।

23. प्रतियोगी अर्जन :—(1) अर्जनकर्ता से सिवा, सार्वजनिक घोषणा करते बाला कोई व्यक्ति, ऐसी घोषणा के दो सप्ताह के भीतर अर्जन हेतु प्रतियोगी बोली कर सकता है।

(2) इस अध्याय के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित उप विनियम (1) के अधीन की गई प्रतियोगी बोली पर लागू होंगी।

परन्तु यह कि सार्वजनिक घोषणा में प्रस्ताव की अवधि किसी भी स्थिति में विनियम 20 के उप विनियम (3) में वर्णित प्रथम प्रस्ताव की अवधि से अधिक नहीं होगी।

24. पुनर्निर्धारित प्रस्ताव :—प्रस्ताव की शर्तों में कोई परिवर्तन या सार्वजनिक प्रस्ताव में कोई संशोधन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक की शेयरों का अर्जन करने वाला व्यक्ति —

- (क) बोर्ड का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता;
- (ख) ऐसे संशोधनों के बारे में उसी प्रकार से सार्वजनिक घोषणा नहीं करता है जैसा कि विनियम 12 में निर्दिष्ट है; और
- (ग) प्रत्येक शेयरधारक को एक संसूचना नहीं भेजता।

25. प्रस्ताव का प्रत्याहरण (1) कोई सार्वजनिक प्रस्ताव एक बार कर दिये जाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकेगा सिवाय ऐसी घटना घट जाने के जो शेयर अर्जन करने वाले व्यक्ति के लिए उसके नियंत्रण के बाहर के कारणों से उसका प्रस्ताव का पालन करना असंभव बना दे।

(2) कोई भी प्रस्ताव एक बार किया जाने पर बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना वापस नहीं लिया जा सकेगा।

(3) उप विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई सार्वजनिक प्रस्ताव वापस लिया समझा जायेगा यदि निम्नलिखित घटना में से कोई घटती है :—

- (i) अर्जनकर्ता की मृत्यु यदि वह एक प्रकृत व्यक्ति है;
- (ii) अर्जनकर्ता न्यायनिर्णीत दिवालिया है या दिवाला की कार्यवाही के अधीन है;
- (iii) यदि अर्जनकर्ता एक प्रकृत व्यक्ति है या ता वह विधायक हो गया हो या शारीरिक निर्यायता के कारण असमर्थ हो

गया हो या अन्यथा अपने कामकाज के प्रबन्ध में असमर्थ हो गया हो;

(iv) अर्जनकर्ता को एक कम्पनी या एक निगमित निकाय होने हुए या तो नोटिस प्राप्त हुआ हो या वह परिसमापन कार्यवाहियों के प्रारंभ के अधधीन हो—

(4) किसी भी शर्तों के अधीन प्रस्ताव के प्रत्याहरण की दशा में अर्जनकर्ता, प्रस्ताव के प्रत्याहरण के कारण बर्तित हुए, उन्हीं समाचार पत्रों में सार्वजनिक घोषणा करेगा जिनमें प्रस्ताव की घोषणा प्रकाशित की गई थी।

(5) जहाँ एक प्रस्ताव उप विनियम (1) के अधीन प्रत्याहृत किया जाता है, अर्जनकर्ता उसी कम्पनी में शेयरों के अर्जन के लिए, प्रस्ताव के प्रत्याहरण की तिथि से 6 माह की अवधि तक कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

अध्याय IV

उपनिर्दिष्ट अधिग्रहण

26. उपनिर्दिष्ट अधिग्रहण :—(1) इस अध्याय के उपबंध, एक लोक वित्तीय संस्था या एक अनुसूचित बैंक (इसके बाद "अग्रणी संस्था के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसरण में एक वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी, जो एक सख्त औद्योगिक कम्पनी न हो, के शेयरों के पर्याप्त अर्जन पर लागू होंगे।

(2) अग्रणी संस्था इस अध्ययन के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगी।

(3) अग्रणी संस्था वित्तीय लाभप्रवता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी का अर्जन करेगी और पुनः प्रवर्तन हेतु निधियों की आवश्यकता का निर्धारण करेगी तथा प्रथमतः शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा, उत्तम प्रबन्धन प्रभावी पुनर्वास और पर्यवेक्षण के सिद्धान्त पर पुनर्वास प्रस्ताव तैयार करेगी।

(4) पुनर्वास योजना, प्रबन्धन में किसी परिवर्तन के विवरण का विनिर्दिष्ट उपबंध भी करेगी,

(5) योजना, निम्नलिखित किसी भी रीति से प्रायिक रूप से दुर्बल कम्पनी के शेयरों के अर्जन का उपबंध कर सकती है :—

- (क) शेयरों का एकमुश्त क्रय, या
- (ख) शेयरों का विनिमय, या
- (ग) दोनों का संयोजन।

परन्तु यह कि जहाँ तक संभव हो योजना यह सुनिश्चित करे कि प्रस्तावित अर्जन के बाद पहले के कोई संप्रवर्तकों के स्वामित्व में कोई शेयर नहीं रहता है, यदि ऐसी योजना के अनुसरण में नये संप्रवर्तकों द्वारा ऐसा अर्जन किया जाता है।

स्पष्टीकरण :—इस अध्ययन के प्रयोजन के लिए "वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी" पद का अर्थ है वह कम्पनी जिसकी पूर्ण वित्तीय वर्ष के अंत में संघित हानि इसके शुद्ध मूल्य अर्थात् प्रदत्त पूंजी और खुली धारकतियों के कुल योग के 50 प्रतिशत से अधिक, परन्तु 100% से कम के कारण में परिणामित हुई हो।

27. शेयरों के अर्जन का तरीका :—(1) अग्रणी, संस्था, पुनर्वास की किसी योजना का कार्यान्वित करने से पूर्व कम से कम तीन पाठियों से शेयरों के अर्जन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करेगा।

(2) उप विनियम (1) के अधीन प्रस्तावों की प्राप्ति पर अग्रणी संस्था वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी के पुनर्वास हेतु शेयर अर्जन करने वाले व्यक्ति की प्रबन्धन क्षमता, वित्तीय संगठनता का पर्याप्तता और तकनीकी सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए पाठियों में से किसी एक को चुनेगा।

(3) अग्रणी संस्था, शेयर अर्जन का प्रस्ताव करने का दरादा रखने वाले किसी व्यक्ति को बुर्बल कंपनी के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेगा। विशेषकर वर्तमान प्रबंधन तकनीक, विनिर्मित उत्पादों की श्रेणी, शेयरधारिता का स्वरूप, वित्तीय धारिताएँ एवं प्रस्ताव की तिथि से पिछले पांच वर्ष के ऐसी कंपनी के कार्य-निष्पादन तथा आस्तियों और देयताओं के साथ ही शेयर अर्जन करने वाले व्यक्ति से, ऐसे पुनर्वास के लिए, अपेक्षित न्यूनतम वित्तीय एवं अन्य प्रतिबद्धताओं से संबंधित।

28. बोलियों के मूल्यांकन का तरीका (1) अग्रणी संस्था क्रय मूल्य या शेयरों के विनियम, पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड, वित्तीय संसाधन, शेयरों का अर्जन करने वाले व्यक्ति के प्रबंधन की प्रतिष्ठा की बाबत प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन करेगा और प्रक्रिया में औचित्य और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के उपबंधों के अनुसार मूल्यांकन करने के बाद प्रस्तावों की वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा और वित्तीय रूप से बुर्बल औद्योगिक कंपनी के प्रबंधन के मामलों से संबंध व्यक्तियों से परामर्श के बाद इन बोलियों में से एक को स्वीकार किया जायेगा।

29. शेयर अर्जन करने वाला व्यक्ति—प्रस्ताव करना—शेयर अर्जन करने वाला व्यक्ति जिसे विनियम 27 के अधीन अग्रणी संस्था द्वारा परिचक्षित किया गया है इस बारे में अग्रणी संस्था से संसूचना का प्राप्ति पर वित्तीय रूप से बुर्बल, कंपनी के संप्रवर्तकों या उसके प्रबंधन मामलों के प्रभारी व्यक्ति, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य शेयरधारकों से अग्रणी संस्था एवं अर्जनकर्ता के बीच पारस्परिक बातचीत द्वारा तथ मूल्य पर शेयरों के अर्जन हेतु औपचारिक प्रस्ताव करेगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम में वर्णित कुछ भी, अग्रणी संस्था को उसके द्वारा धारित शेयरधारिता को पुनर्वास योजना के भाग के रूप में वित्तीय रूप से बुर्बल कंपनी को प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगा।

30. शेयर अर्जन करने वाला व्यक्ति—कुछ मामलों में सार्वजनिक घोषणा करना—(1) जब प्रस्ताव, वित्तीय रूप से बुर्बल कंपनी के प्रबंधन मामलों के प्रभारी व्यक्तियों के असावा शेयरधारकों से किया जाता है, तो शेयर अर्जन करने वाला व्यक्ति शेयरों के अर्जन के लिए, अपने आग्रय की एक सार्वजनिक घोषणा करेगा।

(2) ऐसी सार्वजनिक घोषणा में, शेयर अर्जन करने वाले व्यक्ति की पृष्ठान और पृष्ठभूमि प्रस्ताव मूल्य इकाई के पुनरुज्जीवन के लिए योजना और वह अवधि जिसमें प्रस्ताव खुला रखा जायेगा की सूचना सहित प्रस्ताव के संबंध में सुसंगत विवरण अंतर्भूत होगा।

(3) प्रस्ताव की शर्तें, वित्तीय रूप से बुर्बल कंपनी के शेयरधारकों में से प्रत्येक को भेजी जायेगी, जिनमें अभिलेखन तिथि और प्रस्ताव की अर्जन तिथि का विशिष्ट उल्लेख होगा।

(4) पूर्वकथित विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय दृष्टि से बुर्बल कंपनी या यथास्थिति अग्रणी संस्था, यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी समय पर जनता द्वारा धारित शेयरधारिता ऐसी कंपनी की समावस्त शेयर पूंजी के 20 प्रतिशत से कम नहीं है।

(5) अन्य शेयरधारकों से प्रस्ताव स्वीकार करते हुए, शेयर अर्जन करने वाला व्यक्ति, व्यक्तिगत शेयरधारक से उसकी संपूर्ण शेयरधारिताएं अर्जित करने का प्रस्ताव करेगा, यदि ऐसी धारिता दस रुपये के अंकित मूल्य वाले सौ शेयरों तक या सौ रुपये के प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले दस शेयरों तक है।

31. अध्याय III के प्रवर्तनों से जुट—(1) प्रत्येक प्रस्ताव जो विनियम 30 के अनुमरण से किया गया है, बोर्ड को दत्त विनियमों के अध्याय III के उपबंधों से ऐसे अर्जनों को लूट प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ भेजा जायेगा।

(2) ऐसे अनुरोध पर विचार करने के लिए, बोर्ड, कंपनी तथा अग्रणी संस्था से भी, प्रस्ताव की जांच की रीति, ऐसे प्रस्ताव के मूल्यांकन तथा इस प्रकार के अन्य मामलों से संबंधित ऐसी सूचना मांग सकता है।

32. राज्य स्तरीय लोक वित्तीय संस्था द्वारा शेयरों का अर्जन—जहाँ वित्तीय रूप से बुर्बल कंपनी के शेयरों के अर्जन का प्रस्ताव एक राज्य स्तर के लोक वित्तीय संस्था द्वारा किया गया है, वहाँ इन विनियमों के उपबंध जैसे ही लागू होंगे जैसे कि एक लोक वित्तीय संस्था द्वारा तैयार की गई पुनर्वास योजना से संबंधित, सिवाय इसके कि यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित एक नियम, यह सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी होगा कि वित्तीय रूप से बुर्बल कंपनी में शेयरों के अर्जन हेतु इन विनियमों का अनुपालन हुआ है।

अध्याय 5

अन्वेषण

33. अन्वेषण करने का बोर्ड का अधिकार—(1) जहाँ बोर्ड को ऐसा करना उचित लगे, यह एक या अधिक व्यक्तियों को ऐसे किसी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों, अन्य अभिलेखों एवं प्रलेखों की जांच के लिए अन्वेषण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है जिन्होंने उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति से प्रतिभूतियों का अर्जन या विक्रय किया हो:

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार हो सकते हैं—

(क) शेयरों के पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण के अभिकथन पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय पर विनिधानकर्ताओं, मध्यवर्तियों या किसी अन्य व्यक्ति की शिकायतों का अन्वेषण करना; और

(ख) अपनी जानकारी या सूचना पर स्वप्रेरणा से, विनियमों के भंग होने के बारे में प्रतिभूति व्यापार विनिधानकर्ताओं, निवेशकों के हित में अन्वेषण करना।

34. अन्वेषण के लिए प्रक्रिया—(1) विनियम 33 के अधीन कोई अन्वेषण करने से पूर्व बोर्ड सम्बन्धित व्यक्ति को इस प्रयोजन के लिए एक युक्तियुक्त सूचना देगा।

(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ बोर्ड संतुष्ट है कि विनिधानकर्ताओं के हित में या

सार्वजनिक हित में ऐसी सूचना नहीं दी जानी चाहिए, यह एक आदेश द्वारा लिखित निर्देश दे सकता है कि अन्वेषण बिना ऐसी सूचना के किया जाए।

(3) बोर्ड द्वारा सशक्त किए जाने पर अन्वेषण प्राधिकारी अन्वेषण करेगा और वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अन्वेषण किया जा रहा है विनियम 35 के अधीन उपबंधित अपनी बाध्यताओं के निर्वहन हेतुआवद्ध होगा।

35. बोर्ड द्वारा अन्वेषण की बाध्यताएं:—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका अन्वेषण किया जा रहा है (जो इसके बाव "संबंधित व्यक्ति" के रूप में निर्दिष्ट होगा) का यह कर्तव्य होगा कि वह अन्वेषण प्राधिकारी को ऐसी सब पुस्तकों, खातों और अन्य प्रलेखों को जो उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं प्रस्तुत करेगा तथा उसे प्रतिभूति बाजार के संव्यवहारों से सम्बन्धित विवरण तथा सूचना ऐसे समय के भीतर देगा जैसा अन्वेषण प्राधिकारी चाहे।

(2) सम्बन्धित व्यक्ति अन्वेषण प्राधिकारी को ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोगित परिसर में, युक्तियुक्त पहुंच की अनुमति देगा तथा स्टॉक दलाल या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में पुस्तकों, अभिलेखों, प्रलेखों और कम्प्यूटर आंकड़ों के परीक्षण के लिए युक्तियुक्त सुविधा देगा और ऐसे प्रलेखों तथा अन्य सामग्री की प्रतियां भी उपलब्ध कराएगा जो अन्वेषण प्राधिकारी की राय में इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए संगत और उपयोगी है।

(3) अन्वेषण के दौरान अन्वेषण प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के किसी सदस्य, निदेशक, भागीदार, स्वामित्वधारी और कर्मचारी के परीक्षण या उसका बयान उल्लिखित करने का हकदार होगा।

(4) यह सम्बन्धित व्यक्ति के प्रत्येक निदेशक, स्वामित्वधारी, भागीदार, अधिकारी और कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह अन्वेषण के सम्बन्ध में अन्वेषण प्राधिकारी को पूर्ण सहयोग दे, जिसे देने की सम्बन्धित व्यक्ति से युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जाती है।

36. बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करना:—अन्वेषण प्राधिकारी, जितना शीघ्र संभव होगा, अन्वेषण रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

37. निष्कर्षों आदि का संप्रेषण:—(1) बोर्ड, अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त निष्कर्षों को सम्बन्धित व्यक्ति को, अन्वेषण प्राधिकारी के निष्कर्षों पर बोर्ड द्वारा कार्रवाई किए जाने से पूर्व उसे सुने जाने का एक युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के लिए, संप्रेषित करेगा।

(2) सम्बन्धित व्यक्ति से स्पष्टीकरण, यदि कोई हो प्राप्त होने पर, बोर्ड ऐसे व्यक्ति को ऐसे उपाय करने के लिए कह सकता है, जो बोर्ड, प्रतिभूति बाजार के हित में तथा अधिनियम, नियमों एवं विनियमों के उपबंधों की समुचित अनुपालना करने के लिए ठीक समझे।

38. लेखापरीक्षक की नियुक्ति:—इस अध्याय के पूर्ववर्ती विनियमों में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड सम्बन्धित व्यक्ति को लेखा-पुस्तकों या कार्यकलापों के अन्वेषण हेतु एक सुयोग्य लेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकता है ;

परन्तु यह भी कि इस प्रकार नियुक्त लेखा-परीक्षक की अन्वेषण प्राधिकारी की तरह वही शक्तियां होंगी जो विनियम 33 में कथित हैं और इस विनियम के अन्तर्गत अन्वेषण को सम्बन्धित व्यक्ति की विनियम 35 में वर्णित बाध्यताएं लागू होंगी।

39. बोर्ड द्वारा दिशा निर्देश:—विनियम 36 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त पर, बोर्ड अधिनियम की धारा 24 के अधीन आपराधिक अभियोजन करने के इसके अधिकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निदेश दे सकता है जैसे यह उचित समझे, अर्थात्:—

- (क) सम्बन्धित व्यक्ति को प्रतिभूतियों में आगे संव्यवहार न करने के लिए निवेश देना;
- (ख) सम्बन्धित व्यक्ति को इन विनियमों के अतिक्रमण में अर्जित प्रतिभूतियों में से किसी को निपटाने में प्रतिषिद्ध करना;
- (ग) इन विनियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में अर्जित शेषों की बिक्री के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को निदेश देना ;
- (घ) सम्बन्धित व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक मध्यवर्ती है, के विरुद्ध कार्रवाई करना।

40. केन्द्र सरकार से अपील:—इन विनियमों के अधीन बोर्ड के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार को अपील कर सकेगा।

[फा. सं. से. बि./एल ई./5916/94]

सुरेश नाडकर्णी, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)

REGULATIONS 1994

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 1994

S.O. 800(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India, Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby, with the previous approval of the Central Government makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations shall be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1994.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(b) “acquirer” means any person who acquires or agrees to acquire shares in a company either by himself or with any person acting in concert with the acquirer;

(c) “investigating officer” means any officer of the Board, or any other person, having experience in dealing with the problems relating to the securities market, and such person is authorised by the Board under Chapter V of these regulations;

(d) “person acting in concert” comprises persons who, pursuant to an agreement or understanding acquires or agrees to acquire shares in a company for a common objective or purpose of substantial acquisition of shares and includes :

(i) a company, its holding company, or subsidiaries of such companies or companies under the same management either individually or all with each other;

(ii) a company with any of its directors, or any person entrusted with the management of the funds of the company;

(iii) directors of companies, referred to in clause (i) and his associates; and

(iv) mutual fund, financial institution, merchant banker, portfolio manager and any investment company in which any person has an interest as director, fund manager, trustee, or as a shareholder having not less than 2% of the paid-up capital of that company.

Explanation.—For the purposes of this clause “associate” means :—

(a) Any relative of that person within the meaning of section 6 of the Companies Act, 1956; (1 of 1956).

(b) the director or his relative whether individually or in aggregate holding more than 2% of the paid-up equity capital of such company.

(c) “public financial institution” means a public financial institution as defined in Section 4A of the Companies Act, 1956.

(f) “sick industrial company” shall have the same meaning assigned to it in clause (O) of sub-section (1) of section 3 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

(g) “state level financial institution” means a State financial corporation established under section 3 of the State Financial Institutions Act, 1951 and includes industrial development corporation established as a company by a State Government with the object of development of industries or agricultural activities in the state;

(h) “stock exchange” means a stock exchange which has been granted recognition under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(i) “shares” means share in the share capital of a company carrying voting rights and includes any security which would entitle the holder to receive shares with voting rights.

(2) All other expressions unless defined herein shall have the same meaning as have been assigned to them under the Act or the Companies Act, 1956, or the Securities Contract (Regulation) Act, 1956, as the case may be.

3. Applicability of the Regulation.—Nothing contained in Chapter III of these regulations shall apply to acquisition of shares :

(a) by allotment in pursuance of an application made under a public issue;

(b) in pursuance of any underwriting arrangement;

(c) in the ordinary course of business by a registered stock-broker of a stock exchange on behalf of clients;

(d) in companies whose shares are not listed on any stock exchange;

(e) pursuant to a scheme of arrangement or amalgamation under Sections 391 and 394 of the Companies Act, 1956;

(f) pursuant to a scheme framed under Section 18 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

4. Power of the Board to grant exemption.—The Board may after considering all the relevant factors such as family arrangements amongst promoters or re-organisation of the company when more than 10 per cent of the voting rights of shares are acquired by the existing shareholders of that company or any of its holding company or of a company under the same management, may pass any order of exemption from the provisions of Chapter III after recording the reasons in writing for grant such exemption.

CHAPTER II DISCLOSURES OF SHAREHOLDING

5. Transitional provision.—(1) Any person, who holds more than five percent shares in any company, shall within two months of notification of these regulations disclose his aggregate shareholding in that company,

(a) to all the stock exchange on which the shares of the said company are listed, and

(b) to the aforesaid company.

(2) Every company whose shares are held by the persons referred to in sub-regulation (1) shall disclose to the stock exchange within two months from the date of notification of these regulations the aggregate number of shareholdings of each of the acquirer referred above.

6. Acquisition of 5% and more shares of a company.—(1) Any acquirer, who holds five per cent or less than five percent shares in a company and acquires more than five percent shares :—

(a) in pursuance of a public issue, or

(b) by one or more transactions, or

(c) in any other manner not covered by (a) and

(b) above,

shall disclose the aggregate of his shareholding in that company to the company and to all the stock exchanges where the shares are listed.

(2) The disclosures mentioned in sub-regulation (1) shall be made within four working days of—

(a) the receipt of intimation of allotment of shares in respect of shares acquired under clause (a) of sub-regulation (1) or;

(b) the acquisition of shares, as the case may be.

(3) Every company, whose shares are acquired as referred to in sub-regulation (1), shall disclose to all the stock exchanges, where the shares are listed the aggregate shareholdings of that company of all such persons within seven days of receipt of information under sub-regulation (1).

7. Disclosures to the Board.—The stock exchanges shall furnish to the Board reports of the disclosures made under regulation 5 and 6 as and when required by the Board.

8. Continual disclosures.—(1) Every acquirer, including a person covered under Regulation 5 who holds more than ten percent shares in any company, shall make half-yearly disclosures to the stock exchanges, on which the shares are listed in respect of his holdings as on 31st March and 30th September each year.

2517 GI/94—2

(2) The obligation to make disclosures under sub-regulation (1) shall continue till such time the shareholdings in the company is either reduced to ten percent or increased upto seventy-five percent of the voting rights of the company.

CHAPTER III TAKE-OVERS

9. Acquisition of 10 percent or more of the shares of any company through negotiation.—(1) Any acquirer who holds shares carrying ten percent or less of voting rights in the capital of the company shall not through negotiations acquire any further shares, which, when taken together with his existing shareholdings would carry more than ten percent of the voting rights, unless, the acquirer makes a public announcement to acquire shares at a minimum offer price from the other shareholders of the company in accordance with these regulations, or

(2) Any acquirer who on the date of commencement of these regulations, holds shares in a company which carry more than ten percent of the voting rights in the capital of the company, shall not acquire any further shares through negotiations unless, the acquirer makes a public announcement to acquire shares at a minimum offer price from the other shareholders of the company in accordance with these regulations.

(3) Where an acquirer acquires securities which would entitle him more than ten percent of the voting rights together with voting rights on shares already held by him, then, such person shall make a public announcement referred to in sub-regulation (1) at the time immediately before his entitlement to obtain voting rights on such securities.

(4) Nothing in sub-regulation (2) shall apply to any person, who on the date of coming into force of these regulations holds shares carrying more than ten percent of the voting rights in the capital of a company, if he has already complied with the provisions of clause 40A and clause 40B of the listing agreement of any stock-exchange.

10. Acquisition of 10 percent or more of the shares of any company through open market purchases.—(1) An acquirer, who holds shares carrying ten per cent or less of voting rights in the capital of the company shall not acquire any further shares in the company from the open market which when taken together with his existing shareholdings, would carry more than ten percent of the voting rights, unless such acquirer makes a public announcement of intention to acquire shares in the open market in accordance with these regulations.

(2) In acquirer who on the date of commencement of these regulations holds shares which carry more than ten percent of the voting rights

in the capital of the company, shall not acquire any further shares in the company from the open market unless such acquirer makes a public announcement of intention to acquire shares in the open market in accordance with the regulations.

11. Who should make the Public Announcement of Offer.—(1) Before making any public announcement of offer referred to in regulation 9 or regulation 10, the acquirer shall appoint a merchant banker holding a certificate of registration given by the Board.

12. Public Announcement of Offer.—A public announcement to be made under regulation 9 or 10 shall be made in at least one national English daily and one vernacular newspaper of that place, where the shares of the company are listed and most frequently traded.

13. Timing of the Public Announcement of offer under regulation 9.—The public announcement referred to in regulation 9 shall be made not later than four days of either the finalisation of the negotiation, or entering into an agreement or memorandum of understanding to acquire shares, whichever is earlier.

14. Timing of the Public Announcement of Intention under regulation 10.—A public announcement of intention to acquire shares referred to in regulation 10 shall be made either immediately before the acquisition of any shares, which would increase the existing share holdings of the person making the announcement beyond ten percent or in case his existing shareholding is already beyond ten percent, any time before the person seeks to acquire any shares in order to increase his existing shareholding.

15. Contents of the Public Announcement of Offer.—A public announcement referred to in regulation 9 or 10 shall contain the following particulars, namely:—

- (i) the object and terms of offer including the price at which the shares are being sought to be acquired.
- (ii) the identity of the ultimate person seeking to acquire shares;
- (iii) details of the existing holdings of the person acquiring shares together with those of persons acting in concert with him;
- (iv) details of shareholdings in respect of which the person acquiring shares has entered into an agreement or memorandum of understanding to acquire the shares;
- (v) intention of acquisition of shares;

(vi) the record date and the date by which individual letter of offers would be posted to the shareholder and the manner and the date by which the acceptance or otherwise of offer should be communicated;

(vii) the time and manner of payment of consideration for acquisition of shares ;

(viii) all conditions subject to which the offer is made including the following conditions, namely:—

(a) the total number of shares to be acquired from the public, subject to a minimum as specified in regulation 21;

(b) the statutory approvals under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), Monopolies Restrictive Trade Practices Act 1969 (54 of 1969) and Foreign Exchange Regulation Act, 1973. (46 of 1973) required to be obtained for the purpose of acquiring the shares and

(c) approvals to be obtained from shareholders of the company of which the shares are being acquired;

(ix) such other information in the investors interest having a bearing on the substantial acquisition of shares.

16. Brochures, advertising material etc.—(1) The public announcement of offer or any other advertisement, circular, brochure or publicity material issued in relation to the acquisition of shares shall contain information essential for the shareholder to make an informed decision on the offer made.

(2) Copies of any advertisement, brochure or document issued to the public under sub-regulation (1) shall be submitted to the Board at least twenty-four hours before its issuance.

17. Letter of offer.—(1) Within fourteen days of the public announcement made under regulations 9 or 10, the acquirer shall through a merchant banker submit the draft of a letter of offer to the Board for its approval.

(2) The acquirer shall alongwith the letter of offer referred to in sub-regulation (1) make payment of a fee to the Board of a sum of Rs. 25,000 payable either by cheque or bank draft in favour of the Securities and Exchange Board of India at Bombay.

(3) The merchant banker shall submit a due diligence certificate to the Board stating that the statements made in any document, advertisement

or brochure issued to the public contains statements, which are true to the best of his or its knowledge.

18. Record date.—(1) The letter of offer shall be sent to all the shareholders of the company whose shares are sought to be acquired and whose names appear on the books of the company as on the record date.

(2) The record date shall be not more than the sixtieth day from the date of the first public announcement.

19. Minimum offer price.—(1) An offer to acquire shares under regulation 9 or regulation 10 shall be made at a minimum offer price which shall be:—

- (a) payable in cash; or,
- (b) by exchange of shares if the person seeking to acquire the shares is a body corporate; or
- (c) a combination of (a) and (b):

Provided that where the agreement or any memorandum of understanding stipulates payment in cash to any class of shareholders, whose shares are being acquired the remaining shareholders shall also be paid in cash for the shares offered by them for sale of their shares. (2) For the purposes of sub-regulation (1), the minimum offer price shall be:—

- (a) in case of acquisition of shares under regulation 9 the negotiated price or the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares as quoted on the stock exchange during the last six months preceding the date of announcement, whichever is higher, provided there has been a market for such shares during that period in that stock exchange;
- (b) in case of acquisition of shares under regulation 10, the highest price paid by the acquirer in the open market or the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares as quoted on the stock exchange during the last six months preceding the date of announcement, whichever is higher, provided there has been a market for such shares during that period in that stock exchange;
- (c) where there has been no continuous market in the stock exchange for the share to be acquired, such average shall be calculated on the basis of weighted average price, quoted in at least one other stock exchange to be determined on the basis of the daily trading volume of such

shares in that exchange or in any other reasonable manner with the prior approval of the Board;

- (d) in case where the shares of the company are offered in lieu of cash payment, the value of such shares shall be determined in the same manner as mentioned in clause (a) and (b) as the case may be.

20. General Obligations.—(1) The announcement of public offer to acquire shares shall be made only when the acquirer has every reason to believe that he shall be able to implement the offer.

(2) Within fourteen days of the public announcement of offer, the acquirer must also submit a letter of offer to the Board of Directors of the Company, whose shares are being acquired.

(3) The acquirer shall state the period for which the offer to acquire shares from the other shareholders shall remain open.

Provided that every such offer shall be kept open for a period of not less than four weeks from the date of the offer.

(4) The directors of the company of which the shares are being acquired shall not sell or enter into an agreement for sale of assets not being sale or disposal of assets, in the ordinary course of business, of the company or its subsidiaries or issue any authorised but unissued securities carrying voting rights during the period, when the offer is open for acceptance unless the approval of the general body of shareholders is obtained.

(5) Every document issued to shareholders or any advertisement published in connection with the offer must state that the directors in case the acquiring, is a company, accept the responsibility for the information contained in the document or advertisement :

Provided that if any of the directors desire to exempt himself from the responsibility of the information in such document or, as the case may be, the advertisement the document or, advertisement as the case may be, shall contain a statement to that effect together with reasons thereof.

(6) The company whose shares are being acquired shall furnish to the acquirer, within seven days of the request of the acquirer, a list of names of shareholders and of those persons whose applications for transfer of registration is considered valid and accepted by the company.

(7) The company, whose shares are being acquired, shall also inform the persons whose application for transfer are considered valid within sixty days and also inform about such transfers to the transferor and transferee, so that they have an opportunity to accept the offer.

(8) The letter of offer shall be sent to all the shareholders so as to reach them within ten days from the record date.

(9) Any acquirer who has made any acquisition of shares either by negotiation or through open market purchases shall not make any further public announcement for acquisition of shares in the succeeding six months.

21. Minimum number of shares to be acquired.—(1) Subject to sub-regulation (2) the offer shall be made to acquire shares from such of the shareholders such number of shares, which shall not be less than the minimum marketable lot as determined by the Stock Exchange in which these shares are listed, or the entire holding if it is less than the marketable lot.

(2) The public offer shall be made to the remaining shareholders of the company, to acquire from them an aggregate minimum of 20 percent of the total shares of that company.

(3) Where an acquirer holds more than ten percent shares at the time of commencement of these regulations and was not required to comply with the provisions of Clause 40A and Clause 40B of the Listing Agreement, the public offer referred to in sub-regulation (2) shall be to acquire a minimum of such percentage as would increase his shareholding to at least thirty percent of the total shares of that company.

(4) The offer referred to above shall not result in the public shareholding being reduced to less than 20 percent of the voting capital of the company.

(5) Where a person seeking to make acquisition of shares by reason of holding securities, which may carry voting rights at a later point of time, the percentage referred to in the sub-regulation (2) and (3), shall be computed with reference to voting capital of the company including the securities which would carry voting rights.

(6) Where number of shares offered for sale by the shareholders are more than the shares agreed to be acquired by the person making the offer, such person shall subject to sub-regulation (1) accept the offers received from the shareholders on a proportional basis.

22. Completion of the Offer.—The acquirer shall within a period of four weeks from the date of the closure of the offer complete all procedures relating to the offer including payment of consideration to the shareholders who have accepted the offer.

23. Competitive Acquisition.—(1) Any person other than the acquirer making a public announcement may within two weeks of such

announcement make a competitive bid for acquisition.

(2) The provisions of this chapter shall mutatis-mutandis apply to the competitive bid made under sub-regulation (1) :

Provided that the period of offer in the public announcement shall not in any case extend beyond that of the first offer mentioned in sub-regulation (3) of regulation 20.

24. Revised Offer.—No change in the conditions of offer or any amendment to a public offer shall be made unless the person acquiring shares—

- (a) obtains the prior approval of the Board,
- (b) makes a public announcement in respect of such amendments in the same manner as specified in regulation 12; and
- (c) sends a communication to each of the shareholders.

25. Withdrawal of Offer.—(1) No public offer once made shall be withdrawn except on the happening of an event making it impossible for the person acquiring shares for reasons beyond his control to carry out his offer.

(2) No offer once made shall be withdrawn without the previous approval of the Board.

(3) Without prejudice to sub-regulation (1) a public offer shall be deemed to have been withdrawn if any of the following events occur :—

- (i) the death of the acquirer if he is a natural person;
- (ii) the acquirer is adjudged insolvent or is subject to insolvency proceedings;
- (iii) in case of acquirer, being a natural person, he has either become insane or incapable on account of physical disability or otherwise has become incapable of managing his affairs;
- (iv) the acquirer being a company or a body corporate has either received notice or is subject to commencement of winding up proceedings;

(4) In the event of withdrawal of the offer under any of the conditions, the acquirer shall make a public announcement in the same newspapers in which the announcement of offer was published, indicating reasons for withdrawal of the offer.

(5) Where an offer is withdrawn under sub-regulation (1) the acquirer shall not make any offer for acquisition of shares in the same company for a period of 6 months from the date, the offer is withdrawn.

CHAPTER IV

BAIL OUT TAKEOVERS

26. Bail out takeovers.—(1) The provisions of this Chapter shall apply to a substantial acquisition of shares in financially weak company not being a sick industrial company, in pursuance to a scheme of rehabilitation approved by a public financial institution or a scheduled bank; (hereinafter referred to as lead institution).

(2) The lead institution shall be responsible for ensuring compliance with the provisions of this Chapter.

(3) The lead institution shall appraise the financially weak company taking into account the financial viability, and assess the requirement of funds for revival and draw up the rehabilitation package on the principle of protection of interests of minority shareholders, good management, effective revival and transparency.

(4) The rehabilitation scheme shall also specifically provide the details of any change in management.

(5) The scheme may provide for acquisition of shares in the financially weak company in any of the following manner :

- (a) outright purchase of shares, or
- (b) exchange of shares, or
- (c) a combination of both.

Provided that the scheme as far as possible may ensure that after the proposed acquisition the erstwhile promoters do not own any shares in case such acquisition is made by the new promoters pursuant to such scheme.

Explanation : For the purpose of this chapter, the expression "financially weak company" means a company, which has at the end of the previous financial year accumulated losses, which has resulted in erosion of more than 50 per cent but less than 100 per cent of its net-worth, that is to say, of the sum total of the paid-up capital and free reserves.

27. Manner of acquisition of shares.—(1) Before giving effect to any scheme of rehabilitation the lead institution shall invite offers for acquisition of shares from atleast three parties.

(2) After receipt of the offers under sub-regulation (1), the lead institution shall select one of the parties having regard to the managerial competence, adequacy of financial resources and technical capability of the person acquiring shares to rehabilitate the financially weak company.

(3) The lead institution shall provide necessary information to any person intending to make an offer to acquire shares about the financially weak company and particularly in relation to its present management, technology, range of products manufactured, shareholding pattern, financial holding and performance and assets and liabilities of such company for a period covering five years from the date of the offer as also the minimum financial and other commitments expected of from the person acquiring shares for such rehabilitation.

28. Manner of evaluation of bids.—(1) The lead institution shall evaluate the bids received with respect to the purchase price or exchange of shares, track record, financial resources, reputation of the management of the person acquiring shares and ensure fairness and transparency in the process.

(2) After making evaluation as provided in sub-regulation (1), the offers received shall be listed in order of preference and after consultation with the persons in the affairs of the management of the financially weak company accept one of the bids.

29. Person acquiring shares to make an offer.—The person acquiring shares who has been identified by the lead institution under regulation 27, shall on receipt of a communication in this behalf from the lead institution make a formal offer to acquire the shares from the promoters or persons in charge of the affairs of the management of the financially weak company, financial institutions and also other shareholders at a price determined by mutual negotiation between the person acquiring shares and the lead institution.

Explanation : Nothing in this regulation shall prohibit the lead institution offering the share-holdings held by it to financially weak company as part of the scheme of rehabilitation.

30. Person acquiring shares to make public announcement in certain cases.—(1) Where an offer is made to the shareholders other than the persons in charge of the management of the affairs of the financially weak company, the person acquiring shares shall make a public announcement of his intention for acquisition of shares.

(2) Such public announcement shall contain relevant details about the offer including the information about identity and background of the person acquiring shares, offer price, the plan for revival of the unit and the period for which the offer shall be kept open.

(3) The terms of offer shall be forwarded to each of the shareholders in the financially weak company indicating therein a specific mention of the record date and also the acquisition date of the offer.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing regulations, the financially weak company or, as the case may be, the lead institution shall ensure that at no point of time shareholding held by the public is reduced to less than twenty per cent of the paid up share capital of such company.

(5) While accepting the offer from the other shareholders, the person acquiring shares shall offer to acquire from the individual shareholder his entire holdings if such holding is upto hundred shares of the face value of rupees ten each or ten shares of the face value of rupees hundred each.

31. Exemption from the operations of Chapter III.—(1) Every offer which has been made in pursuance of regulation 30 shall be accompanied with an application to the Board for exempting such acquisitions from the provisions of Chapter III of these regulations.

(2) For considering such request the Board may call for such information from the company as also from the lead institution, in relation to the manner of vetting the offers, evaluation of such offers and similar other matters.

32. Acquisition of shares by a state level public financial institution.—Where proposals for acquisition of shares in respect of a financially weak company is made by a state level public financial institution, the provisions of these regulations in so far as they relate to scheme of rehabilitation prepared by a public financial institution, shall apply except that in such a case the Industrial Development Bank of India, a corporation established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 shall be the agency for ensuring the compliance of these regulations for acquisition of shares in the financially weak company.

CHAPTER V INVESTIGATION

33. Board's right to investigate.—(1) Where it appears to the Board so to do, it may appoint one or more persons as investigating authority to investigate and undertake inspection of the books

of accounts, other records and documents of any person who may have acquired or sold securities to any person for any of the purposes specified in sub-regulation (2).

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may be as follows :

- (a) to investigate into the complaints received from investors, intermediaries or any other person on any matter having a bearing on the allegations of substantial acquisition of shares and take-overs; and
- (b) to investigate suo motu upon its own knowledge or information in the interest of securities business or investors interests, for any breach of the regulations.

34. Procedure for investigation.—(1) Before undertaking any investigation under regulation 33 the Board shall give a reasonable notice to the person concerned for that purpose.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the Board is satisfied that in the interest of the investors or in public interest no such notice should be given, it may by an order in writing direct that the investigation be taken up without such notice.

(3) On being empowered by the Board, the investigating authority shall undertake the investigation and the person against whom an investigation is being carried out shall be bound to discharge his obligations as provided under regulation 35.

35. Obligations of investigation by the Board.—(1) It shall be the duty of every person who is being investigated (hereinafter referred to as the "person concerned") to produce to the investigating authority such books, accounts and other documents in his custody or control and furnish him with the statements and information relating to the transactions in securities market within such time as the said investigating authority may require.

(2) The person concerned shall allow the investigating authority to have reasonable access to the premises occupied by such person or by any other person on his behalf and also extend reasonable facility for examining books, records, documents and computer data in the possession of the stock-broker or any other person and also provide copies of documents or other materials which, in the opinion of the investigating authority are relevant and useful for the purposes of making investigations under this chapter.

(3) The investigating authority, in the course of investigation, shall be entitled to examine or record statements of any member, director, partner, proprietor and employee of the person concerned.

(4) It shall be the duty of every director, proprietor, partner, officer and employee of the person concerned to give to the investigating authority all assistance in connection with the investigation, which the person concerned may be reasonably expected to give.

36. Submission of Report to the Board.—The investigating authority shall, as soon as may be possible submit an investigation report to the Board.

37. Communication of Findings etc.—(1) The Board shall after consideration of the investigation report communicate the findings to the person concerned to give him an opportunity of being heard before any action is taken by the Board on the findings of the investigating authority.

(2) On receipt of the explanation, if any, from the person concerned, the Board may call upon the person concerned to take such measures as the Board may deem fit in the interest of the securities market and for due compliance with the provisions of the Act, rules and regulations.

38. Appointment of Auditor.—Notwithstanding anything contained in the preceding regulation of this chapter, the Board may appoint a qualified auditor to investigate into the books of account or the affairs of the person concerned:

Provided that the auditor so appointed shall have the same powers of the investigating authority as

stated in regulation 33 and the obligations of the person concerned in regulation 35 shall be applicable to the investigation under this regulation.

39. Directions by the Board.—On receipt of the report under Regulation 36, the Board may without prejudice to its right to initiate criminal prosecution under section 24 of the Act give such directions as it deems fit for all or any of the purposes, namely,

- (a) directing the person concerned not to further deal in securities;
- (b) prohibiting the person concerned from disposing of any of the securities acquired in violation of these regulations;
- (c) directing the person concerned to sell the shares acquired in violation of the provisions of these regulations;
- (d) taking action against the person concerned who is an intermediary holding a certification of registration under section 12 of the Act.

40. Appeal to the Central Government.—Any person aggrieved by an order of the Board under these Regulations may prefer an appeal to the Central Government.

[F. No. SEB/E/5916/94]

S. S. NADKARNI, Chairman

